हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

22 / 2012 अन्तर्गत निर्मलाकंवर बनाम श्रीमति [illegible] के परिवार विभाजित [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.11.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 मय वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 02 उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 03 से 06 मय वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 07 अनुपस्थित। उभय पक्षकारान की ओर से वादग्रस्त भूमि के संबंध में आपसी रजामंदी व सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया,जो बाद तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया। राजीनामा के संलग्न विभाजन सहमति पत्र पेश किया,जो बाद तस्दीक शामिल मिसल हो। वादग्रस्त भूमि में राजीनामा पेश होने के कारण अब विवाद का बिन्दु निहित नहीं होने के कारण तनकीयात कायमी की आवश्यकता नहीं रही है। वादी साक्ष्य में PW-01 निर्मलाकंवर पत्नि घनश्यामसिंह व PW-02 कुन्दनकंवर पत्नि रणजीतसिंह के लिखित बयानात शपथ पत्र मय लिखित बयानात स्टाम्प पत्र पर जरिये अधिवक्ता पेश किए,जो शामिल पत्रावली हो। वकील वादीगण और साक्ष्य नहीं करवाना चाहता है,जो साक्ष्य वादीगण बंद की जाती है। प्रतिवादी साक्ष्य में DW-01 हिमांशुसिंह, DW-02 मगसिंह, DW-03 सरितादेवी मेहता,DW-04 मरुतकुमार व DW-05 कंचन कंवर के द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किए,जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किए गए। प्रतिवादी पक्ष और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है,जो प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द की जाती है। मूलवाद में अन्य प्रतिवादी का विलोप हो गया है। उभयपक्ष मय अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस में करते हुए निवेदन किया कि उभयपक्षकारान की ओर से वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजीनामा पेश किया तथा राजीनामा के साथ विभाजन (सहमति पत्र) प्रस्ताव पेश किया गया है। राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जाता है,तो वादीगण को आपत्ति नहीं है,वादीगण सहमत है,और वादीगण की ओर से अपनी सहमति के आधार पर शपथ पत्र पर लिखित बयानात मय स्टाम्प पत्र पर भी लिखित बयानात पेश किए है। वादीगण वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई उजर एतराज पेश नहीं करेगी , इस हेतु वादीगण पाबंद रहेगी। अन्तः में निवेदन किया कि राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जाता	

कार्यालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

तारीख हुक्म	
	है,तो वादीनीगण सहमत है। वकील वादीनीगण की बहस का समर्थन करते हुए प्रतिवादी मय वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया,कि उभयपक्षकारान द्वारा आपसी सहमति व लोक भावाना से प्रेरित होकर वादग्रस्त भूमि के संबध मे राजीनामा पेश किया गया है और राजीनामा अनुसार वादग्रस्त भूमि के राजीनामा के संलग्न विभाजन सहमति पत्र मय नक्शा पेश किया गया है। विभाजन सहमति पत्र अनुसार विकय पत्र को पंजीबद्व करवाने हेतु सभी पक्षकार पाबंद रहेगे तथा भविष्य में विवादित भूमि के संबध में किसी प्रकार का वाद विवाद एवं उजर –एतराज नहीं करने हेतु भी पाबन्द रहेगे। अन्तः में निवेदन किया कि राजीनामा मय विभाजन सहमति पत्र अनुसार दावा डिकी किया जाता है,तो प्रतिवादी सहमत है। हमनें उभय पक्षकारान मय अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन् किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात व राजीनामा मय विभाजन सहमति पत्र का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि उभय पक्षकारान की ओर से वादग्रस्त भूमि खसरान नम्बर 17, 18 ,19 ,115 , 163 , 169 , 267/113,268/14,218/1,227/01 ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की भूमि का राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा के संलग्न विभाजन सहमति पत्र मय नक्शा प्रति पेश की गई,के अनुसार खसरा नम्बर 227/01 वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार यथावत रहेगा एवं खसरा नम्बर 17,18,19 व 218/01 विभाजन सहमति पत्र/विभाजन प्रस्ताव मुताबिक भूमि पक्षकारान की रहेगी तथा शेष खसरान 115,163,169,267/113, व 268/14 भूमि प्रतिवादी श्री गंगसिंह व श्री हिमांशू सिंह को दी जानी तय की गई है। उक्त खसरान भूमि जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज निष्पादन करने हेतु पक्षकार पाबंद्ध रहेगें। राजीनामा विधि सम्मत् होना प्रतीत होता है तथा विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है,कि प्रकरण का निस्तारण जहां तक हो सके पक्षकारान की आपसी सहमति व रजामंदी के आधार पर करना चाहिए ताकि पक्षकारान के मध्य भविष्य मे भी वाद विवाद पैदा नही हो। चूंकि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति व रजामंदी के आधार पर लोक भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया है और राजीनामा माफिक दावा डिक्री करवाना चाहते है। पक्षकारान वादग्रस्त भूमि

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

3/8/2023
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

के संबध में भविष्य में किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करने हेतु स्वंय पाबंद भी हुए है। उपरोक्त विवेचन के उपरात अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि राजीनामा माफिक दावा डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

लिहाजा वादीनीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 17,18 भूमि निम्नानुसार खातेदारान की खातेदारी में घोषित की जाती है

क्र.सं.	खसरा	कुल रकबा (हैक्ट)	खातेदारान विवरण	हिस्सा रकबा(हैक्ट)
1	17	0.5685	उगमकंवर जरीये पंजीबद्ध वसीयती वारिस हिमाशूसिंह पुत्र गंगासिह	0.5685
	18	0.6182		0.6182
	कुल रकबा	1.1867		1.1867
2	17	1.4630	भरतकुमार हि. 3210/17027	0.3210
	18	0.2397	सरितादेवी हि.10130/17027	1.0130
			कंचनकंवर हि. 1844/17027	0.1844
	कुल रकबा	1.7027	राजेन्द्रकुमार हि. 1843/17027	0.1843

खसरा संख्या 19 की भूमि प्रतिवादी गंगासिंह को अन्य वाद संख्या 17/2013 में पारित निर्णय मुताबिक प्राप्त हो चुकी है। खसरा संख्या 227/01 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) अनुसार यथावत रहेगी। खसरा संख्या 115, 163 , 169, 267/113 व 268/114 भूमि माफिक राजीनामा प्रतिवादी श्री गंगासिंह व श्री हिमाशूंसिंह के हक हिस्से में दी जानी तय की गई है,इस बाबत् प्रतिवादी/क्रेतागण श्री भरतकुमार,श्रीमति सरिता देवी, कंचनकंवर, व राजन्द्रकुमार जरीये विनिमय पत्र/पंजीबद्ध दस्तावेज करवाने हेतु पाबंद रहेगे। तहसीलदार पचपदरा/उपतहसीलदार जसोल को निर्देशित किया जाता है,कि नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.8.2023 को लिखा जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:—श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

अनवान

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1.श्रीमति निर्मलाकंवर पत्नि धनश्यामसिंह पुत्री अमरसिंह जाति राजपूत, निवासी बनीपार्क सी 11 सवाईसिंह जयसिंह हाईवे जयपुर	1.श्रीमति उगमकंवर पत्नि अमरसिंह के वारिसान श्री हिमाशूसिंह राठौड़ पुत्र श्री गंगासिंह जाति राजपूत निवासी जसोल तहसील पचपदरा
2.श्रीमति कुन्दनकंवर पत्नि रणजीतसिंह पुत्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी मंडीवाडा तहसील सनीवाडा जिला जालोर	2.श्री गंगासिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी अमरसिंह का बंगला,रातानाड़ा सी रोड जोधपुर
	3.श्रीमति सरितादेवी मेहता पत्नि भरतकुमार जाति ओसवाल निवासी खेड़ रोड़ यूको बैक के पीछे बालोतरा
	4.राजेन्द्रकुमार पुत्र पारसमल जाति ओसवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा
	5.श्रीमति कंवनकंवर पत्नि लक्षमणसिंह जाति राजपूत निवासी समदड़ी रोड़ बालोतरा
	6.भरतकुमार पुत्र सुल्तानमल जाति ओसवाल मेहता निवासी खेड़ रोड़ यूको बैक के पीछे बालोतरा
	7.राजस्थान सरकार, जरियें तहसीलदार पचपदरा
	8.उप पंजीयक अधिकारी जसोल

राजस्व वाद बाबत:—88,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 22 / 2012

निर्णय दिनांक :—03.8.2023

वादीनीगण वकील की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 01 से 06 मय वकील की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 07 अनुपस्थित इस वाद में आज तारीख 03.8.2023 को श्री विवेक व्यास (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:—वादीनीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 17,18 भूमि निम्नानुसार खातेदारान की खातेदारी में घोषित की जाती है:—

क्र सं.	ख.रा.	कुल रकबा (हैक्ट.)	खातेदारान विवरण	हिस्सा रकबा(हैक्ट)
1	17 18	0.5685 0.6182	उगमकंवर जरीये पंजीबद्ध वसीयती वारिस श्री हिमाशूसिंह पुत्र श्री गंगासिह	0.5685 0.6182
	कुल रकबा	1.1867		1.1867
2	17 18	1.4630 0.2397	भरतकुमार हि. 3210 / 17027	0.3210
			सरितादेवी हि.10130 / 17027	1.0130
			कंवनकंवर हि. 1844 / 17027	0.1844
	कुल रकबा	1.7027	राजेन्द्रकुमार हि. 1843 / 17027	0.1843

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर

(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

खसरा संख्या 19 की भूमि प्रतिवादी श्री गंगासिंह को अन्य वाद संख्या 17/2013 में पारित निर्णय मुताबिक प्राप्त हो चुकी है। खसरा संख्या 227/01 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) अनुसार यथावत रहेगी। खसरा संख्या 115, 163, 169, 267/113 व 268/114 भूमि माफिक राजीनामा प्रतिवादी श्री गंगासिंह व श्री हिमाशूंसिंह के हक हिस्से में दी जानी तय की गई है,इस बाबत प्रतिवादी/क्रेतागण श्री भरतकुमार,श्रीमति सरिता देवी,कंचनकंवर, व राजेन्द्रकुमार जरीये विनिमय पत्र/पंजीबद्ध दस्तावेज करवाने हेतु पांबद्ध रहेगें। तहसीलदार पचपदरा/ उपतहसीलदार जसोल को निर्देशित किया जाता है,कि नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे

यह आज तारीख 03.8.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	-----	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	--
जोड़	-----	जोड़	-----

3/8/2023

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा